

परिशिष्ट बी-3

0355338

उपाबंध-2
{ख नियम 8 (ज)देखे}

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- 1 वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नि सहित) : श्रीमती परनीया बाई/स्व. श्री केजु दास
- 2 पिता/माता का नाम स्व. श्री धानवार दास
- 3 आश्रितों का नाम : छन्नु दास, आरती, डिकेश
- 4 पता : सरईरुख
- 4 ग्राम : सरईरुख
- 6 ग्राम पंचायत : खड़मा
- 7 तहसील/तालुका : मगरलोड
- 8 जिला : धमतरी
- 9 अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी : पनिका
- 10 क्षेत्रफल : 3.467 है.
- 11 खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण 28

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं.


वन मंडल अधिकारी,
सामान्य धमतरी मण्डल, धमतरी

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
धमतरी (छ.ग.)

C.R.K.
कलेक्टर,
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

नजरी नक्शा



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगाँव-232 5/2008-6,00,000.

परिशिष्ट बी-3

0355343

उपाबंध-2
[ख नियम 8 (ज)देखे]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1 वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) :	श्री ब्रम्हा कुमार
2 पिता/माता का नाम	स्व. श्री राम प्रसाद
3 आश्रितों का नाम :	पर्वती बाई
4 पता :	गिरहोलाडीह
4 ग्राम :	गिरहोलाडीह
6 ग्राम पंचायत :	खड़मा
7 तहसील/तालुका :	मगरलोड
8 जिला :	धमतरी
9 अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :	रावत
10 क्षेत्रफल :	1.526 है.
11 खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण	36

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं.

वन अधिकारिकारी,
सामान्य धमतरी मण्डल, धमतरी

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
धमतरी (छ.ग.)

जिला कलेक्टर,
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

नजरी नक्शा



साहिक का	घर	आबादी
रोड	घर	
	बाड़ी	
	निरंजन का	घर

परिशिष्ट बी-3

0355527

उपाबंध-2
{ख नियम 8 (ज)देखे}

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- 1 वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नि सहित) : श्रीमति सुमित्रा बाई/स्व0श्री रामनाथ
- 2 पिता/माता का नाम -
- 3 आश्रितों का नाम : चेतन, शिवकुमारी,
- 4 पता : मासुलखोई (करही)
- 4 ग्राम : मासुलखोई (करही)
- 6 ग्राम पंचायत : करही
- 7 तहसील/तालुका : नगरी
- 8 जिला : धमतरी
- 9 अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी : हल्बा
- 10 क्षेत्रफल : 0.260, 0.920 कुल-1.180 है.
- 11 खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण कक्ष क्रमांक 121, 195 योग-02

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं.

उपनिर्देशक
सहायक आयुक्त, सी.ए.डी. गरियाबंद (छ.ग.)
उत्तरी-सीतानदी, गरियाबंद
दायगर रिजर्व गरियाबंद

C.P. 10/1
जिला-कुलबुर्,
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
धमतरी विकास
धमतरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

नजरी नक्शा



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-232-5/2008-6,00,000.

D:\\Sangeeta\\Patta\\Vyktigt4.docx

कृषि भूमि

कृषि भूमि
195
कृषि भूमि

कृषि भूमि

कृषि भूमि

कृषि भूमि
121
कृषि भूमि

कृषि भूमि

परिशिष्ट बी-3

0355341

उपाबंध-2
{ख नियम 8 (ज)देखे}

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- 1 वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नि सहित) : श्री मोहन लाल/श्रीमती आहिल्या बाई
- 2 पिता/माता का नाम श्री रामधीन सिन्हा
- 3 आश्रितों का नाम : केजा बाई, मनोज, श्रीमती लक्ष्मी
- 4 पता : गिरहोलाडीह
- 4 ग्राम : गिरहोलाडीह
- 6 ग्राम पंचायत : खडमा
- 7 तहसील/तालुका : मगरलोड
- 8 जिला : धमतरी
- 9 अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी कलार
- 10 क्षेत्रफल : 1.359 है.
- 11 खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण 36

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं.

वन अधिकारी,
सामान्यधनमण्डल, धमतरी

कलेक्टर,
धमतरी (छ.ग.)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
धमतरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

नजरी नक्शा



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगाँव-232-5/2008-6,00,000.

खेत	बुधराम का खेत	सामुदायिक भवन
	घर	
	बाड़ी	
	कुआ	

परिशिष्ट बी-3

0355183

उपाबंध-2
[ख नियम 8 (ज) देखें]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1	वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम(पति या पत्नि सहित) :	श्री बरन सिंग सोरी/श्रीमति लिलेन्दी बाई
2	पिता/माता का नाम	श्री फुलसिंग सोरी
3	आश्रितों का नाम :	-
4	पता :	बोडरगाव
4	ग्राम :	बोडरगाव
6	ग्राम पंचायत :	मचका
7	तहसील/तालुका :	नगरी
8	जिला :	धमतरी
9	अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :	कमार
10	क्षेत्रफल :	0.500 है.
11	खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण	65

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अखसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है.

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये ओर उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हरताक्षर करते हैं.



उपनिदेशक
उदंती सीमांती-ट्रिब्यूनल रिजर्व
उदंती-सीतानदी गिरियावर्द्ध, गिरियावर्द्ध (छ.ग.)

CR. h. 2
जिला प्रभुक्टर,
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
धमतरी
आदिवासी विकास
धमतरी (छ. ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

नजरी नक्शा



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगाव-232-5 / 2005-6.00.000

D:\Sangeeta\Patna: Vykriti4.docx

परिशिष्ट बी-3

0355184

उपाबंध-2
(ख नियम 8 (ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1 वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम(पति या पत्नि सहित)	श्रीमति भागवती/ श्री धनसिंग
2 पिता/माता का नाम	-
3 आश्रितों का नाम :	लक्ष्मी
4 पता :	बोडरगांव
4 ग्राम :	बोडरगांव
6 ग्राम पंचायत :	मंचका
7 तहसील/तालुका :	नगरी
8 जिला :	धमतरी
9 अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :	कमार
10 क्षेत्रफल :	0.080 है
11 खसरा/कपार्टमेंट स. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण	63

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसक्राम्य या अंतरणीय नहीं है -

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं,

उपनिदेशक
उदत्ती सीमाधिकार विभाग (छ.ग.)
धमतरी

जिल्ह कलेक्टर,
धमतरी (छ.ग.)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
आदिवासी विकास
धमतरी (छ. ग.)

नोट- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

नजारी नक्शा



रामसिंग
का घर
वनसिंग
मकान
63
रामसिंग का
घर
जंगल

शासकीय क्षेत्रीय मुख्यालय, राजनांदगांव-232/2008-6.00.000

परिशिष्ट बी-3

0355187

उपाबंध-2
(ख नियम 8 (ज)देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1 वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम(पति या पत्नी सहित) :	श्री रामजी, श्रीमति देववती वाई
2 पिता/माता का नाम	रव. श्री इतवारी राम
3 आश्रितों का नाम :	—
4 पता :	खालगढ़
4 ग्राम :	खालगढ़
6 ग्राम पंचायत :	मेचका
7 तहसील/तालुका :	नगरी
8 जिला :	धमतरी
9 अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :	भुजिया
10 क्षेत्रफल :	0.060 है.
11 खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण	213

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसक्राम्य या अतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं.


उपनिदेशक
उदत्ती सीतामती जिला प्रशासन विभाग (छ.ग.)
उदत्ती-सीतानमनस्योबंद

C.R. K. S.
जिला कलेक्टर,
धमतरी,
छत्तीसगढ़ (छ.ग.)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
धमतरी
जिला प्रशासन विभाग
उदत्ती (छ.ग.)

नोट— यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

नजारी नक्शा



खेत
खेत 213 खेत
खेत

परिशिष्ट बी-3

0355189

उपाबंध-2
[ख नियम 8 (जादखे)]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम(पति या पत्नि सहित) :	श्री रामलाल / श्रीमति लक्ष्मी बाई
2. पिता / माता का नाम	श्री सुखराम
3. आश्रितों का नाम :	रघुमोतिन, सेवन्, डिगेश्वर
4. पता :	खालगढ़
4. ग्राम :	खालगढ़
6. ग्राम पंचायत :	मेचका
7. तहसील / तालुका :	नगरी
8. जिला :	धमतरी
9. अनसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी :	भुजिया
10. क्षेत्रफल :	0.370 है.
11. खसरा / कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण	180

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अतरणीय नहीं है :-
हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं.


उपनिदेशक
उदनी सीतानंदी टायगर्स रिजर्व
उदनी-सीतानंदी टायगर्स रिजर्व, गडचिरोड़ (छ.ग.)
गडचिरोड़

C.P. h. 2
जिला फ्लेक्चर
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
धमतरी
आदिवासी विकास
नगरी (छ.ग.)

नोट- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

नजरी नक्शा



खेत
खेत
180
खेत



34

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों
की मान्यता)

अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
उपाबंध 3

[नियम 8 (6 ज) देखें]

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



- सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- मोंगरागहन ग्राम सभा (उपाबंध के अनुसार)
- ग्राम/ग्रामसभा :- मोंगरागहन
- ग्राम पंचायत :- मोंगरागहन
- तहसील/तालुका :- धमतरी
- जिला :- धमतरी
- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :- अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
- सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप :- धारा 3 (1) ठ - अन्य पारंपरिक अधिकार (मछली पालन)
- शर्तें यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना) :-
 - राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 - वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
 - जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 - वनो में आग नहीं लगाएंगे। वनो में आग लगने पर वन-विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 - घराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनोत्पादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 - वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 - लघु वनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
- निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में से)	सोरीकोन्हा तालाब (मछली पालन) हेतु (हेक्टेयर में)
पी. एफ. 207	1.000	1.000
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकबा 1.000	1.000

रूढ़िजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :-
(चौहद्दी)

उत्तर दिशा में - जंगल
पूर्व दिशा में - जंगल

दक्षिण दिशा में - आबादी
पश्चिम दिशा में - जंगल


सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम मोंगरागहन ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकारों की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।


मंडलीय वन अधिकारी / उपवन संरक्षक
सामान्य वन अधिकारी,
डाल, धमतरी

जिला जनजातीय वन अधिकारी
आदिवासी विकास
धमतरी (छ.ग.)

जिला कलेक्टर / उप आयुक्त



भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन
अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
उपाबंध 3
{नियम 8 (6 ज) देखें}
सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- गंगरेल ग्राम सभा
(उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा :- गंगरेल
3. ग्राम पंचायत :- गंगरेल
4. तहसील/तालुका :- धमतरी
5. जिला :- धमतरी
6. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :- अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
7. सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप :- धारा 3 (1) ठ - अन्य पारम्परिक अधिकार (देवी स्थल)
8. शर्तें यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
 1. राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 2. वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
 3. जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 4. वनों में आग नहीं लगाएंगे। वनों में आग लगने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 5. चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनर्त्पादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 6. वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 7. लघु वनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में से)	देवी स्थल अंगारमोती हेतु (हेक्टेयर में)
पी. एफ. 190	566.632	3.032
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकबा 566.632	3.032

रूढ़िजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :-
(चौहद्दी)

उत्तर दिशा में - सड़क, जंगल

दक्षिण दिशा में - बांध

पूर्व दिशा में - जंगल

पश्चिम दिशा में - जंगल

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम गंगरेल ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।


मंडलीय वन अधिकारी / उपवन संरक्षक
वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, धमतरी

जिला कलेक्टर / उप आयुक्त
कलेक्टर
धमतरी (छ.ग.)

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
धमतरी (छ.ग.)
धादिवास विहास
धमतरी (छ. ग.)



भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
 उपाबंध 3
 [नियम 8 (6 ज) देखें]
 सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



- सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- माकरदोना ग्राम सभा (उपाबंध के अनुसार)
- ग्राम/ग्रामसभा :- माकरदोना
- ग्राम पंचायत :- माकरदोना
- तहसील/तालुका :- नगरी
- जिला :- धमतरी
- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :- अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
- सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप :- धारा 3 (1) ख निस्तर के रूप में सामुदायिक अधिकार जलाऊ लकड़ी का अधिकार
- शर्तें यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
 - राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 - वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
 - जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 - वनो में आग नहीं लगाएंगे। वनो में आग लगने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 - चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनर्त्पादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 - वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 - लघु वनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
 - निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में से)	जलाऊ लकड़ी हेतु (हेक्टेयर में)
आर. एफ. 164	643.435	70.000
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकबा 643.435	70.000

रुद्धिजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :-
 (चौहद्दी)

उत्तर दिशा में - राजस्व क्षेत्र
 पूर्व दिशा में - जंगल

दक्षिण दिशा में - जंगल
 पश्चिम दिशा में - जंगल

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम माकरदोना ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकारों की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलाधिकारी
 मंडलीय वन अधिकारी/ उपवन संरक्षक
 सामुदायिक वन, धमतरी

उपाबंध 3
 जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
 धमतरी (छ. ग.)

जिला कल्याण अधिकारी
 धमतरी (छ. ग.)



भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
उपाबंध 3

[नियम 8 (6 ज) देखें]

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



- सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- चनागांव ग्राम सभा
(उपाबंध के अनुसार)
- ग्राम/ग्रामसभा :- चनागांव
- ग्राम पंचायत :- चनागांव
- तहसील/तालुका :- नगरी
- जिला :- धमतरी
- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :- अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
- सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप :- धारा 3 (1) ग - गौण उत्पादों पर स्वामित्व उनका संग्रहण, उपभोग मूल्य वृद्धि एवं बेचने का अधिकार
- शर्तें यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
 - राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 - वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
 - जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 - वनो में आग नहीं लगाएंगे। वनो में आग लगने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 - चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनोत्पादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 - वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 - लघु वनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
- निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में से)	लघु वनोपज संग्रहण हेतु (हेक्टेयर में)
पी. एफ. 152	82.127	82.127
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकबा 82.127	82.127

रुद्धिजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :-
(चौहद्दी)

उत्तर दिशा में - बांध क्षेत्र
पूर्व दिशा में - राजस्व ग्राम

दक्षिण दिशा में - कांकेर जिला सीमा
पश्चिम दिशा में - राजस्व ग्राम चनागांव

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम चनागांव ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकारों की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।


वन मंडल अधिकारी
मंडलीय वन अधिकारी/ उपवन संरक्षक
सिमाय वन मंडल, धमतरी

सहायक आयुक्त
जिला जनसंविधान कोष अधिकारी
धमतरी (छ. ग.)

जिला कलेक्टर
कलेक्टर
धमतरी (छ. ग.)



भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
उपाबंध 3
{नियम 8 (6 ज) देखें}
सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



- सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- चनागांव ग्राम सभा
(उपाबंध के अनुसार)
- ग्राम/ग्रामसभा :- चनागांव
- ग्राम पंचायत :- चनागांव
- तहसील/तालुका :- नगरी
- जिला :- धमतरी
- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :- अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
- सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप :- धारा 3 (1) घ - चारागाह के उपयोग का अधिकार

- शर्तें यदि कोई हों (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
- राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
- वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
- जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
- वनो में आग नहीं लगाएंगे। वनो में आग लगने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
- चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनोत्पादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
- वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
- लघु वनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
- निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में से)	चारागाह हेतु (हेक्टेयर में)
पी. एफ. 152	82.127	50.000
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकबा 82.127	50.000

रूढ़िजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :-
(चौहद्दी)
उत्तर दिशा में - बांध क्षेत्र
पूर्व दिशा में - राजस्व ग्राम
चनागांव

दक्षिण दिशा में - कांकेर जिला सीमा
पश्चिम दिशा में - राजस्व ग्राम

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम चनागांव ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी उपवन संरक्षक
जिला वन प्रमुख, धमतरी

जिला जनजातीय कार्य अधिकारी
धमतरी (छ. ग.)

जिला कलेक्टर
धमतरी (छ. ग.)